पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 300/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 25.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु दिनांक- 25.09.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी है-

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में थाना पवई पुलिस टीम ने वाहनों की चोरी करने वाले अन्तर्जनपदीय चोर व उसके साथी को गिरफ्तार कर चोरी की 09 मोटरसाइकिल व 02 कटी हुई मोटरसाइकिल के पार्ट्स किये बरामद

अवगत कराना है कि **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा वाहन चोरी तथा संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 24.09.2024 को थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह व व0उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह अलीनगर तिराहे पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि कलान की तरफ से एक मोटर साइकिल आती हुई दिखायी दी, जिसे रुकने का इशारा किया गया तो वह घबड़ाकर गाड़ी घुमाकर पुनः कलान की तरफ भागने का प्रयास करने लगा जिसे पुलिस बल द्वारा पकड़ लिया गया। वाहन के कागजात मांगे गये तो नही दिखा सका तथा वाहन स्वामी का नाम पता भी नही बता सका । मोटर साइकिल पर लगे नं0 प्लेट को ई-चालान ऐप पर चेक किया गया तो वाहन स्वामी का नाम चित्रांगदा सिंह पत्नी वंशराज सिंह निवासी गोविन्दपुर राजेपुर कोपा जलालपुर अम्बेडकरनगर पाया गया तथा मोटर साइकिल के चेचिस नं0- को ई-चालान ऐप पर चेक किया गया तो वाहन स्वामी का नाम विजय कुमार उपाध्याय पुत्र कुलश्रेष्ठ उपाध्याय निवासी सौरिया थाना खुटहन जनपद जौनपुर पाया गया । उक्त मोटर साइकिल के रजिस्ट्रेशन नं0 व चेचिस नं0 में भिन्नता पाये जाने के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम 1-राजेन्द्र राजभर उर्फ राजू उर्फ पप्पू पुत्र रामसिंगार राजभर निवासी लोनरा प्रतापपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर, बताया तथा भागने के सम्बन्ध में बताया कि उसने यह मोटर साइकिल लगभग एक माह पूर्व शाहगंज तहसील से चोरी किया था तथा लोगो को धोखा देने के लिए फर्जी तरीके से मूल्यवान नम्बर प्लेट का कूटरचना करके दूसरा फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर बेचने के लिए जा रहा था । अभियुक्त ने बताया कि वह मोटर साइकिल चोरी करके पवई शीतला माता मन्दिर के पीछे अभियुक्त 2. रामबेचन बिन्द पुत्र ठाकुरदीन बिन्द निवासी दनियालपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ की कबाड़ की दुकान पर पाँच हजार रुपये में बेचता है । यदि कोई सीधा सज्जन व्यक्ति मिल जाता है तो उसे भी नम्बर प्लेट बदलकर बेच देता है।

➡ अभियुक्त ने बताया कि उसने लगभग दो माह पूर्व 01 स्प्लेंडर प्लस व 01 सुपर स्प्लेंडर मोटर साइकिल शाहगंज रेलवे स्टेशन से, 01 हिरो एचएफ डीलक्स मोटर साइकिल शाहगंज अस्पताल से, 01 हीरो सुपर स्प्लेंडर व 01 हीरो होण्डा सीडी डिलक्स मोटर साइकिल शाहगंज तहसील से, 01 मोटर साइकिल हीरो स्प्लेंडर प्रो माहुल से (लगभग 01 वर्ष पूर्व), 01 स्प्लेंडर प्लस मोटर साइकिल कादीपुर तहसील (लगभग दो माह पूर्व) से, 01 सुपर स्प्लेंडर मोटर साइकिल जलालपुर से, 01 हिरो स्प्लेंडर प्रो मोटर साइकिल जलालपुर सब्जीमण्डी से व 01 मोटर साइकिल कादीपुर तहसील से चोरी करके 2. रामबेचन बिन्द पुत्र ठाकुरदीन बिन्द निवासी दनियालपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को बेचा है ।

➡ अभियुक्त राजेन्द्र राजभर की निशादेही पर रामबेचन बिन्द की दुकान के बेसमेन्ट से 08 मोटर साइकिल तथा 02 कटी हुयी मोटर साइकिल के पार्ट्स (चेचिस, पल्ला, शाकर, पहिया, रिम, टंकी, सीट, डिग्गी, 02 हेड लाइट आदि) बरामद कर दोनो अभियुक्तों को समय करीब 23:10 बजे गिरफ्तार किया गया।

➡बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना पवई पर अभियुक्तों 1. राजेन्द्र राजभर उर्फ राजू उर्फ पप्पू पुत्र रामसिंगार राजभर निवासी लोनरा प्रतापपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर व 2. रामबेचन बिन्द पुत्र ठाकुरदीन बिन्द निवासी दनियालपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0- 324/2024 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राजेन्द्र राजभर उर्फ राजू उर्फ पप्पू पुत्र रामसिंगार राजभर निवासी लोनरा प्रतापपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर।
2. रामबेचन बिन्द पुत्र ठाकुरदीन बिन्द निवासी ग्राम दनियालपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 09 साइकिल व 02 कटी हुयी मोटर साइकिल के पार्ट्स (चेचिस, पल्ला, शाकर, पहिया, रिम, टंकी, सीट, डीग्गी, 02 हेड लाइट आदि)

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 324/2024 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस थाना पवई आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम– थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, व0उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह, का0 बृजेश सरोज, का0 कुलदीप वर्मा, का0 अशफाक अंसारी, का0 रजनीश शुक्ला, का0 विरेन्द्र यादव थाना पवई जनपद आजमगढ़।